54. सीता पत्नी रामकिशन जाति जाट निवासी नापासर तहसील व जिला बीकानेर हाल निवासी बादनू तहसील जसरासर जिला बीकानेर।

अप्रार्थीगण

दावा अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अभिभाषक उपस्थितिः–
1 श्री ओमप्रकाश जाखड़ (प्रार्थी की ओर से)
2 श्री राकेश कुमार रंगा (अप्रार्थी संख्या 2, 10 24 ता 27, 29, 33, 36 की ओर से)
3 श्री दुलाराम मूण्ड (अप्रार्थी संख्या 47 ता 54 की ओर से)

–:निर्णयः–

दिनांकः–11/08/2025

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी व उसके सहहिस्सेदारान के नाम की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि वाके नापासर, बीकानेर के खाता संख्या 125 के खसरा नंबर 1741/978 तादादी 3.74 हैक्टयर, खसरा नंबर 979 तादादी 3.73 हैक्टयर, खसरा नंबर 980 तादादी 3.74 हैक्टयर, खसरा नंबर 984 तादादी 3.74 हैक्टयर कुल किता 4 कुल तादादी 14.95 हैक्टयर स्थित है तथा ग्राम नापासर के खाता संख्या 126 के खसरा नंबर 239 में 2.48 हैक्टयर, खसरा नंबर 326 में 10.06 हैक्टयर, खसरा नंबर 331 में 0.47 हैक्टयर, खसरा नंबर 332 में 5.06 हैक्टयर, खसरा नंबर 333 तादादी 4.11 हैक्टयर, खसरा नंबर 334 में 5.7300 हैक्टयर खसरा नंबर 337 में 2.20 हैक्टयर कुल किता 7 कुल तादादी 30.11 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त वर्णित दोनों खातों की भूमि में प्रार्थी का 1/168–1/168 संयुक्त अविभाजित हक व हिस्सा है।

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपनी–अपनी कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि का आज दिनांक तक विभाजन नहीं हो रखा है। वादगत भूमि पर प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है व लगातार काश्त करता आ रहा है। वादगत सम्पति का बिना खाता विभाजन करवाये वादगत भूमि में प्रार्थी की जहां ढाणी बनी हुई है, उस जमीन को अप्रार्थीगण अन्य को विक्रय करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 18.05.2025 को प्रार्थी को उसकी भूमि से बेदखल कर, कब्जा कर भूमि किसी अन्य को रहन बैय विक्रय करने, ट्यूबवैल बनाने व विद्युत कनेक्शन लेने की धमकी दी गयी। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी को मुतनाजा भूमि के कब्जे से बेदखल कर आगे बैय विक्रय कर दिया गया तो प्रार्थी को ना पूर्ति होने वाला नुकसान होगा। लिहाजा प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार फरमायी जावे कि प्रार्थी व उसके सहहिस्सेदारान के नाम की संयुक्त उक्त वर्णित दोनों खातों की भूमि में प्रार्थी का 1/168–1/168 संयुक्त अविभाजित हक व हिस्सा है, उसे बेदखल न किया जावे, न ही रहन बैय विक्रय करे।

2. प्रार्थना पत्र दिनांक 20.05.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। दिनांक 20.05.2025 को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कृषि भूमि वाके कृषि भूमि वाके नापासर, बीकानेर के खाता संख्या 125 के खसरा नंबर 1741/978 तादादी 3.74 हैक्टयर, खसरा नंबर 979 तादादी 3.73 हैक्टयर, खसरा नंबर 980

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

Scanned with OKEN Scanner

तादादी 3.74 हैक्टयर, खसरा नंबर 984 तादादी 3.74 हैक्टयर कुल किता 4 कुल तादादी 14.95 हैक्टयर स्थित है तथा ग्राम नापासर के खाता संख्या 126 के खसरा नंबर 239 में 2.48 हैक्टयर, खसरा नंबर 326 में 10.06 हैक्टयर, खसरा नंबर 331 में 0.47 हैक्टयर, खसरा नंबर 332 में 5.06 हैक्टयर, खसरा नंबर 333 तादादी 4.11 हैक्टयर, खसरा नंबर 334 में 5.7300 हैक्टयर खसरा नंबर 337 में 2.20 हैक्टयर कुल किता 7 कुल तादादी 30.11 हैक्टयर भूमि उक्त वर्णित दोनों खातों की भूमि में प्रार्थी का 1/168–1/168 संयुक्त अविभाजित हक व हिस्से पर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति नियत रखने बाबत न्यायालय द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई।

3. अभिभाषक श्री राकेश कुमार रंगा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2, 10 24 ता 27, 29, 33, 36 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। जिसमें कथन किया गया कि विवादित कृषि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 41 के पूर्व रावतराम जी की खातेदारी कृषि भूमि होने से उक्त भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें अप्रार्थीगण का अविभाजित हक व हिस्सा कब्जा काश्त है। रावताराम जी के चार पुत्र क्रमशः लूणाराम, लाधुराम, खेराजराम, जोराराम हुवे। गिरधारीराम पुत्र लाधुराम दिनांक 31.12.1971 को जरिये गोदनामा तखी उर्फ तखू देवी पत्नी बालुराम जाट निवासी बादंनू तहसील नोखा के गोद चले गये थे जिसके बाद गिरधारीराम व उसके वारिसान किसी भी प्रकार से हक व हिस्सा एवं अधिकार विवादित कृषि भूमि में नहीं रहा। रावताराम के

Scanned with OKEN Scanner

बाद लाधुराम के हिस्से की कृषि भूमि में गिरधारीराम के गोद चले जाने के बाद कोई भी अधिकार नहीं रहता है। विवादगत कृषि भूमि में गिरधारीराम का हक व हिस्सा दिनांक 31.12.1971 को तखी देवी के गोद चले जाने के बाद समाप्त हो गये थे। गिरधारीराम का गोदनामा उपपंजीयक कार्यालय नोखा में पंजीबद्ध है। अप्रार्थीगण की उक्त विवादित कृषि भूमि को उपयोग व उपभोग एवं कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने से रोकने का प्रार्थी को किसी भी प्रकार से कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी ने अपने पिता के गोद जाने के कथन को छिपाकर प्रस्तुत किया है जो कि गलत है अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जावे।

4. अभिभाषक श्री दुलाराम मूण्ड द्वारा अप्रार्थी संख्या 47 ता 54 की ओर से जवाब काऊंटर क्लेम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसमें कथन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 47 ता 54 के कब्जे काश्तशुदा भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 46 तक किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी ना करे।

5. उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी श्री ओमप्रकाश जाखड़ द्वारा कथन किया गंया कि उक्त वादगत भूमि में प्रार्थी का संयुक्त रूप से 1/168 हिस्सा है, इसी अनुसार प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादगत भूमि पर प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है व लगातार काश्त करता आ रहा है। वादगत सम्पति का खाता विभाजन नहीं हुआ है। संयुक्त खाते की भूमि है, इसलिए भूमि के प्रत्येक

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

Scanned with OKEN Scanner

हिस्से पर संयुक्त खातेदार अपना अधिकार रखता है। प्रार्थी भूमि को रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों बिंदु प्रार्थी के हक में होने से अस्थायी निषेधाज्ञा यथावत रखी जावे। अपनी बहस के समर्थन में निम्न दृष्टांत 2023 (2)DNJ (Rev.) Page 819, 2019 (1)RRT PAGE 271, 2022 (2)DNJ (Rev.) Page 1286, 2023 (1)DNJ (Rev.) Page 532 पेश किए गए।

6. इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2, 10 24 ता 27, 29, 33, 36 की ओर से अभिभाषक श्री राकेश कुमार रंगा द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि मेरे द्वारा न्यायालय के समक्ष जो गोदनामा प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार प्रार्थी के पिता गिरधारीराम पुत्र लाधुराम तखी उर्फ तखू देवी पत्नी बालुराम जाट निवासी बादंनू तहसील नोखा के गोद चले गये थे जिसके बाद गिरधारीराम व उसके वारिसान किसी भी प्रकार से हक व हिस्सा एवं अधिकार विवादित कृषि भूमि में नहीं रहा। रावताराम के बाद लाधुराम के हिस्से की कृषि भूमि में गिरधारीराम के गोद चले जाने के बाद कोई भी अधिकार नहीं रहता है। विवादगत कृषि भूमि में गिरधारीराम का हक व हिस्सा को तखी देवी के गोद चले जाने के बाद समाप्त हो गये थे तो इस प्रकार प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।

अप्रार्थी संख्या 2, 10 24 ता 27, 29, 33, 36 वादगत भूमि के संयुक्त रिकॉर्डेड खातेदार है तथा अपने हिस्से की उपयोग व उपभोग

सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

एवं कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने से रोकने का प्रार्थी को किसी भी प्रकार से कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है इस बाबत अप्रार्थी को विद्युत कनेक्शन लिए जाने की अनुमति प्रदान की जावे। अपनी बहस के समर्थन में दृष्टांत RLW 2006 PAGE 71, RRD 1997 Raj. Page 30 पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपनी जवाब बहस में विरोध जाहिर किया गया कि अप्रार्थी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में लिखित तथ्यों के बाहर अनुतोष नहीं चाह सकते है।

7. पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के संदर्भ में तीन बिंदु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर विचार किया जाना है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए व प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 आरटीए के तहत प्रस्तुत हुआ है। जिसमें प्रार्थी द्वारा वाके नापासर, बीकानेर के खाता संख्या 125 के खसरा नंबर 1741/978 तादादी 3.74 हैक्टयर, खसरा नंबर 979 तादादी 3.73 हैक्टयर, खसरा नंबर 980 तादादी 3.74 हैक्टयर, खसरा नंबर 984 तादादी 3.74 हैक्टयर कुल किता 4 कुल तादादी 14.95 हैक्टयर स्थित है तथा ग्राम नापासर के खाता संख्या 126 के खसरा नंबर 239 में 2.48 हैक्टयर, खसरा नंबर 326 में 10.06 हैक्टयर, खसरा नंबर 331 में 0.47 हैक्टयर, खसरा नंबर 332 में 5.06 हैक्टयर, खसरा नंबर 333 तादादी 4.11 हैक्टयर, खसरा नंबर 334 में 5.7300 हैक्टयर

सहायक कलक्टर, बीकानेर शहर

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नंबर 337 में 2.20 हैक्टयर कुल किता 7 कुल तादादी 30.11 हैक्टयर भूमि बाबत अनुतोष चाहा गया है। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उक्त प्रश्नगत भूमि में प्रार्थी के संयुक्त अविभाजित 1/168–1/168 हिस्से पर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी।

8. पत्रावली के अवलोकन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखिय स्थिति यह है कि वर्णित वादगत दोनों खातों की कृषि भूमि में प्रार्थी अपने 1/168–1/168 हिस्सानुसार, अप्रार्थीगण के साथ संयुक्त रिकॉर्डेड खातेदार अंकित है जहां तक प्रार्थी के पिता के गोद जाने संबंधी विवाद्यक का प्रश्न है, इसका निर्धारण वादपत्र में बाद साक्ष्य–सबूत गुणावगुण पर विचार किए जाने के उपरांत किया जाना है। वर्तमान में प्रार्थी अपने हिस्से का बतौर विरासतन रिकॉर्डेड खातेदार है एवं प्रार्थी या उसके पिता के विरासतन संबंधी इंद्राजों को अप्रार्थी संख्या 2, 10 24 ता 27, 29, 33, 36 पक्ष द्वारा किसी भी समय सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है जबकि अप्रार्थीगण के पक्ष में यह न्यायिक उपचार सदैव से विद्यमान रहा है। इस प्रकार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम नापासर, बीकानेर के खाता संख्या 125 के खसरा नंबर 1741/978 तादादी 3.74 हैक्टयर, खसरा नंबर 979 तादादी 3.73 हैक्टयर, खसरा नंबर 980 तादादी 3.74 हैक्टयर, खसरा नंबर 984 तादादी 3.74 हैक्टयर कुल किता 4 कुल तादादी 14.95 हैक्टयर स्थित है तथा ग्राम नापासर के खाता संख्या 126 के खसरा नंबर 239 में 2.48 हैक्टयर, खसरा नंबर 326

सहायक कलक्टर, बीकानेर

सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

में 10.06 हैक्टयर, खसरा नंबर 331 में 0.47 हैक्टयर, खसरा नंबर 332 में 5.06 हैक्टयर, खसरा नंबर 333 तादादी 4.11 हैक्टयर, खसरा नंबर 334 में 5.7300 हैक्टयर खसरा नंबर 337 में 2.20 हैक्टयर कुल किता 7 कुल तादादी 30.11 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी 1/168 हिस्सा के संयुक्त रिकॉर्डेड खातेदार होने से, प्रार्थी के 1/168 हिस्सा की हद तक प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन के बिंदु प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। प्रार्थी अपनी कब्जे काश्त, अपने हिस्से की भूमि के खातेदार अभिधारी है, इस प्रकार बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए प्रार्थी को उसके कब्जा–काश्त, हिस्से की खातेदारी से हटाए जाने की दशा में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होना भी साबित होता है।

हमारे द्वारा ट्यूबवैल के संबंध में अप्रार्थी संख्या 2, 10, 24 ता 27, 29, 33, 36 के द्वारा उठाए गए प्रश्न व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का विवेचन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में विवाद का अप्रार्थी पक्ष द्वारा नवीन ट्यूबवैल–विद्युत कनेक्शन स्थापित किए जाने संबंधी था व प्रकरण में स्वयं प्रार्थी पूर्व से ट्यूबवैल संबंधी सुविधा उपभोग कर रहा था जबकि हस्तगत प्रकरण में विवाद्यक संयुक्त खातेदारी के खाता विभाजन का है एवं पूर्व से कोई ट्यूबवैल स्थापित नहीं है अपितु बिना खाता विभाजन करवाये किसी भी पक्ष द्वारा नवीन विल्लंगम का सृजन वाद–बहुलता का कारण बनेगा। अतः हमारी राय में अप्रार्थी संख्या 2, 10 24 ता 27, 29, 33, 36 द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में चस्पा नहीं होता है।

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

Scanned with OKEN Scanner

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा वाद पत्र के निस्तारण तक इस आशय कायम की जाती है कि ग्राम नापासर, बीकानेर के खाता संख्या 125 के खसरा नंबर 1741/978 तादादी 3.74 हैक्टयर, खसरा नंबर 979 तादादी 3.73 हैक्टयर, खसरा नंबर 980 तादादी 3.74 हैक्टयर, खसरा नंबर 984 तादादी 3.74 हैक्टयर कुल किता 4 कुल तादादी 14.95 हैक्टयर तथा ग्राम नापासर के खाता संख्या 126 के खसरा नंबर 239 में 2.48 हैक्टयर, खसरा नंबर 326 में 10.06 हैक्टयर, खसरा नंबर 331 में 0.47 हैक्टयर, खसरा नंबर 332 में 5.06 हैक्टयर, खसरा नंबर 333 तादादी 4.11 हैक्टयर, खसरा नंबर 334 में 5.7300 हैक्टयर खसरा नंबर 337 में 2.20 हैक्टयर कुल किता 7 कुल तादादी 30.11 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 2, 10 24 ता 27, 29, 33, 36, प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 47 ता 54 के हक व हिस्से की भूमि में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए दखलअंदाजी नहीं करे एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 47 ता 54 प्रत्येक के हक व हिस्से तक की खातेदारी भूमि पर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति वादपत्र के निस्तारण तक बनाए रखे व किसी प्रकार के नवीन विल्लंगम का सृजन नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक ..11..08..2025.. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(रणजीत कुमार)
आरएएस
सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

Scanned with OKEN Scanner